


राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, पंचम ब्लॉक, पंचम तल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

शिक्षाकर्मि कल्याण कोष

क्र.सं.	योजना का नाम	शिक्षाकर्मि कल्याण कोष
1.	योजना का संक्षिप्त परिचय	शिक्षाकर्मियों के कल्याण हेतु शिक्षाकर्मि कल्याण कोष की स्थापना की गई है। इस योजना हेतु शिक्षाकर्मियों से प्रतिवर्ष माह अप्रैल के मानदेय में से 50 रु० प्रति शिक्षाकर्मि की कटौती की जाती है। इस योजना में शिक्षाकर्मियों के आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रितों को सहायता राशि के रूप में 50000/- रु० का भुगतान किया जाता है। साथ ही दुर्घटना में विकलांगता पर शिक्षाकर्मि कल्याण कोष के नियमानुसार भुगतान किया जाता है।
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1997-98
3.	लाभान्वित वर्ग	समस्त शिक्षाकर्मि
4.	पात्रता	आकस्मिक मृत्यु होने पर अथवा विकलांग होने पर
5.	देय सुविधाएं	<ul style="list-style-type: none">50000/- सात्वना राशि शिक्षाकर्मि की मृत्यु पर उनके आश्रित परिवार को।विकलांगता पर अन्य सुविधाएं कल्याण कोष के नियमानुसार।
6.	आवेदन का तरीका	शिक्षाकर्मि बोर्ड मुख्यालय पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) के माध्यम से सूचित करना।
7.	आवेदन कहां किया जावे	राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड, डॉ.राधाकृष्णनन शिक्षा संकुल, पंचम ब्लॉक, पंचम तल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
8.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none">सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्रब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसासक्षम स्तर से जारी आश्रित का शपथ पत्र
9.	सम्पर्क सूत्र	उपनिदेशक, राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड, जयपुर फोन 0141-2700164


उपनिदेशक
राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड
जयपुर